गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार

<u>निविदा - सूचना</u>

विश्वविद्यालय के दोनों छात्रावासों तथा अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय की कैंटीन एवं मैस संचालन हेतु निविदा

गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) हरिद्वार में वर्ष 2020-21 हेतु छात्रों की मैस (खान-पान व्यवस्था) के लिए पं0 गुरुदत्त विद्यार्थी छात्रावास एवं पं0 लेखराम स्वामी श्रद्धानन्द छात्रावास हेतु अलग-अलग मैस कॉन्टेक्टर (केवल पुरूषों के लिए) के ''खान-पान व्यवस्था (मैस) तथा एक वर्ष के लिए मैस संचालन कॉन्ट्रेक्टर हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र, शर्तें एवं विस्तृत जानकारी को विश्वविद्यालय की वेबसाईट **www.gkv.ac.in** से डाउनलोड किया जा सकता है या विश्वविद्यालय के कुलसचिव कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है ।

निविदा प्रपत्र का मूल्य रु.5000/- (रुपये पॉच हजार मात्र) तथा सुरक्षा निधि राशि रु0 5,00,000/- (रुपये पॉच लाख मात्र) बैंक ड्राफ्ट द्वारा कुलसचिव, गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार के पक्ष में देय होना अनिवार्य होगा । निविदाएं निर्धारित समय सीमा में कुलसचिव कार्यालय में जमा करने पर ही मान्य होंगी।

निविदा में किसी प्रकार का संशोधन होने की स्थिति में संशोधन की जानकारी विश्वविद्यालय की वैबसाईट पर दी जाएगी। निविदा जमा एवं खोलने सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है :-

स.क्रं.	विवरण	दिनांक	समय
1.	निविदा प्रकाशन की तिथि	19/10/2020	
2.	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	10/11/2020	सायं 5.00 बजे
3.	निविदा खोलने की तिथि	19/11/2020	सायं 4.00 बजे

निविदा संबंधी समस्त जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाईट **www.gkv.ac.in** पर भी उपलब्ध है ।

कुलसचिव
गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) हरिद्वार

गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार

भाग-1

विश्वविद्यालय के दोनों छात्रावासों मैस एवं बी.टैक. कैम्पस कैंटीन में संचालन हेतु वर्ष 2020-21 के लिए निविदा आवेदन एवं प्रक्रिया संबन्धी जानकारी ।

1.1 निविदा फॉर्म को विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.gkv.ac.in से डाउनलोड किया जा सकता है या विश्वविद्यालय के कुलसचिव कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है ।

1.2 यह निविदा गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) हरिद्वार, के दोनों छात्रावासों एवं बी.टैक. मैस कैंटीन में मैस संचालन हेतु एक वर्ष के लिए आमंत्रित की जा रही है ।

1.3 मैस एवं कैंटीन हेतु निविदा को ऑफ लाईन पद्धति से प्रस्तुत किया जाना है।निविदा में किसी प्रकार के संशोधन की जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.gkv.ac.in पर दी जायेगी ।

1.4 निविदाकर्ता द्वारा भाग-4 में दर्शित खाद्य सामग्री सूची के अनुसार ही देय होगी । यह भी नोट किया जाये कि बिल/इनवॉइस/देयक जो कार्य के उपरांत भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जायेगा उसमें सिर्फ डिस्काउंट काट कर जो दर होगी वह भुगतान हेतु प्रदर्शित होगी ।

1.5 निविदा में किसी प्रकार का संशोधन होने की स्थिति में संशोधन की जानकारी विश्वविद्यालय की बेवसाईट पर दी जाएगी। निविदा जमा एवं खोलने सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है :-

स.क्रं.	विवरण	दिनांक	समय
1.	निविदा प्रकाशन की तिथि	19/10/2020	
2.	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	10/11/2020	सायं 5.00 बजे
3.	निविदा खोलने की तिथि	19/11/2020	सायं 4.00 बजे

1.6 यदि निविदा खुलने की नियत तिथि को अपरिहार्य कारणों से निविदा खोली नहीं जा सकती है तो निविदाएं किसी आगामी कार्यदिवस में गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) हरिद्वार के आदेशानुसार खोली जाऐंगी ।

1.7 प्रक्रिया-1ः (क) निविदा प्रपत्र का मूल्य रु.5000/- (रुपये पॉच हजार मात्र) है तथा सुरक्षा निधि रु. 5,00,000/- (रुपये पॉच लाख मात्र) है। डिमांड ड्राफ्ट कुलसचिव, गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) हरिद्वार, के पक्ष में देय होगा। उपरोक्तानुसार निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं सुरक्षा निधि प्राप्त होने पर ही फर्म को प्रक्रिया-2 के लिए योग्य माना जायेगा।

1.8 प्रक्रिया-2ः उपरोक्त प्रक्रिया में योग्य पायी जाने वाली फर्मों की निविदा ही खोली जायेगी। तकनीकी निविदा में भाग-2 में दर्शित दस्तावेज फर्म की सील एवं हस्ताक्षरित दस्तावेज लिफाफे में रक्खे जायें ।

1.9 प्रक्रिया-3ः तत्पश्चात् उपरोक्त प्रक्रिया 2 में योग्य पायी जाने वाली फर्मों की ही वित्तीय निविदा खोली जायेंगी । तकनीकी निविदा में भाग-2 में दर्शित दस्तावेज फर्म की सील एवं हस्ताक्षरित दस्तावेज लिफाफे में रखे जायें ।

प्रथम लिफाफे में रखें तकनीकी निविदा

भाग-2

तकनीकी निविदा की अहर्ता की शर्तें

2.1 संस्था द्वारा पिछले तीन वर्षों (2019-20, 2018-19, 2017-18) में मान्यता प्राप्त संस्था में मैस संचालन एवं खान-पान व्यवस्था(मैस) का कार्य किया हो इससे संबंधित संस्था का कार्य आदेश/प्रमाण-पत्र फॉर्म की छाया प्रति प्रमाण स्वरुप संलग्न करें।

2.2 संस्था का पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2019-20, 2018-19, 2017-18) में न्यूनतम रूपये पचास लाख प्रति वर्ष का टर्न ओवर होना अनिवार्य है। फर्म के टर्न ओवर की चार्टेड एकाउन्टेंट से प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। इन वर्षों के अंकेक्षित लेखे/बैलेन्स शीट भी संलग्न करें।

2.3 निविदा में भाग लेने वाली फर्म किसी भी संस्था से ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। इस बाबत निविदाकर्ता फर्म को मूल शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जो रु.100/- के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित कर संलग्न करें।(निविदा फॉर्म में दिए गये प्रारुप अनुसार)

2.4 निविदा प्रपत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता द्वारा फर्म की मोहर लगाकर हस्ताक्षर करें। किसी भी प्रपत्र पर फर्म की मोहर एवं हस्ताक्षर न होने पर उसे संलग्न नहीं माना जायेगा।

2.5 निविदा के साथ निम्नांकित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति जिस पर फर्म की सील सहित हस्ताक्षर चाहिए निविदा के साथ संलग्न करें :-

(क) संस्था का वैध पंजीयन(अद्यतन) की छाया प्रति संलग्न करें

(ख) जी.एस.टी. नं.

(ग.) पैन कार्ड नं.

(घ) एफ.एस.एस.आई. लाईसेंस

2.6 पिछले तीन वर्षों 2019-20, 2018-19, 2017-18 का इनकम टैक्स रिटर्न प्रमाण-पत्र की छाया प्रति पैन कार्ड सहित मैस संचालक द्वारा संलग्न करना अनिवार्य है ।

2.7 खाद्य एवं औषधी विभाग का लाईसेन्स खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अधीन (License under Food Safety and Standrads एवं वैधता दिनांक सहित की प्रति संलग्न करें।

2.8 निविदा केवल निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जायेगी । प्रपत्र का मूल्य रु.5000/- (रुपये पॉच हजार) मात्र है जो वापस नहीं किया जायेगा ।

2.9 जिनकी निविदा स्वीकार नहीं हो पाएगी उन्हें आवंटन के बाद ई.एम.डी. रू0 5,00,000/- (पॉच लाख रूपये) का ड्राफ्ट वापस कर दिया जायेगा तथा जिस निविदाकर्ता को कार्य आदेश दिया जायेगा उसका सुरक्षा धन रूपये 5,00,000.00 (पॉच लाख रूपये) Performance Guaranttee के रूप सुरक्षित रख लिया जायेगा ।

2.10 यदि निविदा की शर्तों एवं दिनांक में कोई संशोधन किये जाने की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसकी सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.gkv.ac.in पर दी जायेगी । इस हेतु पृथक से समाचार पत्रों में संशोधन की सूचना जारी नहीं की जायेगी ।

2.11 दोनों छात्रावासों के मैस ठेकेदारों को (रू0 50,000/- प्रति माह) विश्वविद्यालय में मेंटिनेंस शुल्क के रूप में जमा करने होगें । पं0 गुरुदत्त छात्रावास - छात्रों की संख्या लगभग 200 (रूपये 20,000 प्रति माह) बी.टैक एवं विज्ञान छात्रावास - छात्रों की संख्या लगभग 380 (रूपये 30,000 प्रति माह)

निम्नानुसार दस्तावेजों को फर्म की सील एवं हस्ताक्षर के साथ संलग्न करें।

स.क्रं.	विवरण
1	निविदा का मूल्य राशि रु.5000/-है। यह राशि बैंक ड्राफ्टके रुप में देय होगी।
2.	सुरक्षा निधि राशि रु.5,00,000/-निर्धारित है। इसे बैंक ड्राफ्ट के रुप संलग्न करना होगा।
3.	संस्था द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्ष 2019-20, 2018-19, 2017-18 में मान्यता प्राप्त संस्थानमें मैस एवं खान-पान व्यवस्था (केटरिंग) का कार्य किया हो उससे संबंधित संस्था का कार्य आदेश/प्रमाण-पत्र की छाया प्रति प्रमाण स्वरुप संलग्न करें।
4.	संस्था का पिछले तीन वित्तीय वर्षो (2019-20, 2018-19, 2017-18) में न्यूनतम रूपये पचास लाख प्रति वर्ष का टर्न ओवर होना अनिवार्य है। फर्म के टर्न ओवर की चार्टेड एकाउन्टेन्ट से प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। इन वर्षों के अंकेक्षित लेखे/बैलेन्स शीट भी संलग्न करें।
5.	निविदा में भाग लेने वाली फर्म किसी भी संस्था से कभी भी ब्लैक लिस्टेड नहीं हुआ हो । इस सम्बंध में निविदाकर्ता फर्म को मूल शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जो रु.100/-के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित कर संलग्न करें।(निविदा फार्म में दिए गये प्रारुप अनुसार)
6.	जी.एस.टी.नम्बर की छाया प्रति संलग्न करें।
7.	पैन कार्ड नम्बर की छाया प्रति संलग्न करें।
8.	वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।
9.	इनकम टैक्स के पिछले तीन एसेसमेन्ट वर्ष 2019-20,2018-19,2017-18 का इनकम टैक्स प्रमाण-पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।
10.	खाद्य एवं औषधी विभाग का लाईसेन्स खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अधीन (License under Food Safety and Standrad) की प्रति सलंग्न करें।
11.	प्रपत्र ए-1 (निविदा प्रपत्र)

भाग-3 निविदा की अन्य शर्तें

3.1 सफल निविदाकर्ता को विश्वविद्यालय के साथ एक अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पर सुरक्षा निधि को जब्त किया जा सकेगा ।

3.2 पात्र पाई गयी संस्था को प्रथमतः एक वर्ष के लिए अनुबंधित किया जाएगा ।

3.3. विश्वविद्यालय द्वारा फर्म की कार्य क्षमता एवं गुणवत्ता को देखते हुए, अनुबंध की अवधि को आपसी सहमति से अधिकतम 2 वर्ष तक (एक बार में एक वर्ष) के लिए बढ़ाया भी जा सकता है ।इसमें मेंटीनेंन्स शुल्क में अग्रिम प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि भी की जायेगी ।

3.4 किसी भी प्रकार की महामारी/आपदा की दशा में कोई भी निर्णय (भुगतान सम्बंधी/मैस अनुबंध घटाने या बढ़ाने का निर्णय) लेने का अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन पर निर्भर होगा ।

3.5 खाद्य सामग्री सन्तोषजनक न होने या निविदाकर्ता द्वारा शर्तों का पालन नहीं करने की स्थिति के साथ किया गया अनुबंध गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) हरिद्वार द्वारा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त किया जा सकता है एवं धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी । इसमें जो भी आर्थिक हानि होगी उसकी वसूली स्वीकृत निविदाकर्ता से की जायेगी । ऐसी परिस्थिति में भुगतान से कटौती का अधिकार कुलसचिव, गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार के विवेकाधिकार पर सुरक्षित रहेगा।

3.6 खाद्य सामग्री बनाने एवं परोसने में नियोजित सभी श्रमिकों की सम्पूर्ण जिम्मेदारी श्रम नियमों के अन्तर्गत कोन्ट्रेक्टर की होगी ।उक्त सम्बंध में गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार किसी प्रकार के लेबर कॉन्ट्रेक्ट (Bidder) नियमेां (ESI, EPF, BONUS, GRATUTY ETC.) के लिए उत्तरदायी नहीं होगा ।

3.7 फर्म द्वारा विश्वविद्यालय को प्रदान किये जाने वाले भोजन हेतु उच्च गुणवत्ता के अनाज,दालें,ताजी सब्जियां,डबल रिफाईन्स तेल, ब्रांडेड एगमार्ग मसाले एवं मिलावट रहित डेरी प्रोडक्ट्स दही, दूध, पनीर, मावा, आदि गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री का उपयोग किया जाएगा ।

3.8 यदि फर्म द्वारा विश्वविद्यालय को प्रदान की गई खाद्य सामग्री से किसी भी प्रकार की फूड पाईजनिंग होती है तो इसका समस्त उत्तरदायित्व केटरिंग फर्म का होगा तथा फर्म को चिकित्सा संम्बंधी व्यय को वहन करना होगा ।

3.9 खाद्य पदार्थ अथवा अन्य किसी कारण से खाने की गुणवत्ता की कमी किसी भी भोजन (नास्ता, दोपहर एवं रात्री) में पायी जाती है तो फर्म को पुनः खाद्य गुणवत्ता के साथ भोजन परोसना होगा ।

3.10 मैस एवं कैंटीन व्यवस्था के लिए केन्द्र/राज्य शासन एवं स्थानीय निकायों द्वारा समय-समय पर अधिरोपित टैक्स एवं ड्यूटीज का भुगतान समय-समय पर अनिवार्य रुप से करने का उत्तरदायित्व फर्म का होगा। फर्म के देयक से नियमानुसार टैक्स की कटौती विश्वविद्यालय द्वारा की जायेगी ।

3.11 खाद्य सामग्री गुणवत्ता युक्त प्रदान नहीं करने पर प्रस्तुत देयक में से कटौती का अधिकार वॉर्डन/मुख्य वॉर्डन की संस्तुति के आधार पर विश्वविद्यालय प्रशासन को होगा ।

3.12 खाद्य सामग्री की गुणवत्ता विश्वविद्यालय द्वारा नामित समिति को रिपोर्ट सन्तोषजनक होने पर ही स्वीकार की जायेगी ।

3.13 किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर संबंधित फर्म स्वयं उत्तरदायी होगी।

3.14 निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले बिल में देय टैक्स की दर पृथक से प्रस्तुत करना होगा ।

3.15 स्वीकृत/अस्वीकृत निविदा के साथ जमा की गई धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

3.16 निविदा पूर्ण या आंशिक रुप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने तथा किसी भी स्तर पर बिना कारण बताए निरस्त करने का पूर्ण अधिकार गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) हरिद्वार के पास सुरक्षित रहेगा।

3.17 कार्य आदेश के बाद विश्वविद्यालय परिसर में खाद्य सामग्री बनाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। भोजन बनाने हेतु सभी उपकरण, खाना गरम करने की मशीन एंव ईंधन आदि की व्यवस्था निविदाकर्ता को स्वयं करनी होगी। खाद्य सामग्री बनाने में व्यवसायिक गैस सिलेण्डर का उपयोग करना होगा ।

3.18 फर्म द्वारा शत प्रतिशत फूड सेफ्टी नॉर्म्स का पालना करना होगा।

3.19 निविदा प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार की व्याख्या (Interpretation) का प्रश्न उपस्थित होने पर कुलसचिव, गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) हरिद्वार का निर्णय अंतिम व मान्य होगा ।

3.20 निविदाकारों द्वारा दी गई वित्तीय दर समान होने पर विश्वविद्यालय स्वविवेक से पैरामीटर/प्रक्रिया निर्धारित कर सफल निविदाकर्ता के निर्धारण हेतु निर्णय लेने के लिए अधिकृत होगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार का दावा/आपत्ति मान्य नहीं होगी।

3.21 न्यायालयीन विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय हरिद्वार रहेगा ।

3.22 मैस/कैंटीन में बाहर के लोगों का प्रवेश वर्जित रहेगा।

3.23 मैस/कैंटीन के अंदर किसी भी धुम्रपान एवं मादक पदार्थ का सेवन प्रतिबंधित रहेगा।

3.24 निविदा स्वीकृत होने की दशा में राशि रूपये 100/- (एक सौ मात्र)के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।

3.25 मैस/कैंटीन में प्रदान की जाने वाली खाद्य सामग्री शुद्ध शाकाहारी रहेगी।

3.26 बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम कराना वर्जित है।

3.27 मैस के सभी कर्मचारियों का लिखित रिकार्ड (नाम, पता, फोटो, आधारकार्ड, पुलिस वैरिफिकेशन के साथ होस्टल वार्डन/मुख्य वार्डन के कार्यालय में जमा कराना होगा ।

3.28 निविदा की शर्तों का उल्लंघन अथवा मैस/कैंटीन में कार्यरत कर्मियों की कार्य पर से अनुपस्थिति अथवा कार्यालयीन समय पर अभद्र व्यवहार, कार्य में लापरवाही, अनुशासनहीनता अथवा नशे की हालत में पाए जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा कैंटीनसंचालक से निम्नानुसार क्षति पूर्ति की राशि वसूल की जाएगी :-

स. क्र.	विवरण	क्षतिपूर्ति की राशि प्रति दिन प्रति व्यक्ति
1.	खाद्य सामग्री अनुचित पाये जाने पर खाने की गुणवत्ता की कमी होने पर	रु.15,000/- प्रति समय का दण्ड भरना होगा ।
2	अभद्र व्यवहार अथवा कर्मचारी के धुम्रपान, मदिरापान करते हुए पाये जाने पर	रू0 2,000/- प्रति व्यक्ति दंड
3	कैटीन संचालक द्वारा अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन या विश्वविद्यालय के निर्देशों को न मानने पर	निविदा निरस्त करते हुए धरोहर राशि जब्त की जायेगी ।

3.29. मैस/कैंटीन में कार्यरत कर्मियों के इन्श्योरेन्स की जिम्मेदारी मैस/कैंटीन संचालक की होगी **। मैस/कैंटीन कर्मियों के साथ हुई किसी प्रकार की दुर्घटना के लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा** ।

3.30 भुगतान हेतु देयक प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में सभी आवश्यक पूर्तियों के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।

3.31 यदि कोई छात्र गंभीर रूप से बिमारी की अवस्था में छात्रावास में उपस्थित रहता है तो अस्वस्थ छात्र को चिकित्सक के परामर्शानुसार तीनों समय तथा निर्धारित अवधि तक भोजन देना होगा ।

3.32 बी.टैक. परिसर के सभी छात्रों को विश्वविद्यालय के कार्य दिवसों में दोपहर का भोजन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी परिसर (निकट शनिदेव मंदिर, बहादराबाद) में देना होगा ।

3.33 करोना वायरस के फैलाव को रोकने हेतु सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंस) बनाए रखने एवं सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कार्यों का निष्पादन करना होगा तथा भोजनालय को खाने के पूर्व तथा बाद में सैनिटाईज करना होगा।

3.34 विश्वविद्यालय के स्थायी, अस्थायी एवं आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत् कोई भी कर्मी या विश्वविद्यालय का नियमित छात्र निविदा में किसी भी प्रकार से संलिप्त नहीं रहेगा संलिप्त पाये जाने पर प्रशासन दण्डित करने को बाध्य होगा ।

3.35 दोनों छात्रावासों में केवल छात्र ही निवास करते हैं अतः मैस में केवल पुरूष कर्मियों से ही कार्य लेना होगा ।

3.36 मैस में छात्रों को सुबह का नास्ता प्रातः 8:00 से 9:30 बजे तक दोपहर का भोजन अपराहृन 12:30 बजे से 2:30 बजे तक, शाम की चाय सायं 5:00 बजे से 6:00 बजे तक तथा रात्रि का भोजन रात्रि 8:00 बजे से 9:30 बजे तक देना होगा ।

3.37 मैस संचालन हेतु सभी फर्म निविदा प्रपत्र तैयार करने से पहले यदि विश्वविद्यालय के दोनों छात्रावासों के मैस सम्बन्धी रसोईघर, भोजनालय, स्टोर इत्यादि का निरिक्षण किसी भी कार्यदिवस में टैंण्डर समिति के संयोजक एवं अध्यक्ष की अनुमति के पश्चात् कर सकते हैं ।

3.38 यदि कोई छात्र विश्वविद्यालय द्वारा घेाषित अवकाशों में तथा गम्भीर रूप से बीमारी की अवस्था में छात्रावास में उपस्थित नहीं रहता है तो अनुपस्थिति के दिनों में (तीन दिन से अधिक होने पर) केवल लेबर चार्ज ही देय होगा, जो प्रतिमाह के बिल का 40 प्रतिशत होगा ।

3.39 छात्रों को अवकाश पर जाने की पूर्व सूचना छात्रावास वॉर्डन को देना अनिवार्य होगा तभी उपरोक्त नियम लागू होगा अन्यथा पूरा भोजन व्यय देना होगा ।

3.40 मैस में सफाई की सम्पूर्ण व्यवस्था मैस ठेकेदार द्वारा सुनिश्चित करनी होगी ।

3.41 फर्म द्वारा सुनिश्चित करेगी कि मैस के सभी कर्मचारी नियमित एवं साफ स्वच्छ वेशभूषा में कार्यस्थल पर उपस्थित होंगे एवं बाल व नाखून इत्यादि की सफाई का ध्यान रखेंगें । भोजन बनाते व परोसते समय एप्रन एवं सर पर टोपी पहननी अनिवार्य है ।

3.42 टैण्डर निविदा के टैक्नीकल एवं वित्त सम्बन्धी मापदण्ड के आधार पर चयनित फर्मों को विश्वविद्यालय टैण्डर समिति के समक्ष अपने फर्म की कार्यक्षमता के आधार पर गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय के छात्रावासेां के मैस संचालन हेतु अपने-अपने कार्य विशेषता का भी प्रस्तुतिकरण करना होगा । तत् पश्चात् ही टेंण्डर समिति मैस संचालन हेतु उपयुक्त फर्म के चयन की संस्तुति विश्वविद्यालय प्रशासन को करेगी ।

प्रपत्र ए-1 निविदा प्रपत्र

प्रति,

कुलसचिव गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) हरिद्वार

विषयः- दोनों छात्रावासों के मैस संचालन हेतु निविदा वर्ष 2020-21 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हमारी संस्था की जानकारी निम्नानुसार हे ।

स.क्रं.	विवरण	
01	फर्म का नाम	
02	पत्र व्यवहार का पता	
03	फर्म के प्रतिनिधि का नाम	
04	पदनाम	
05	दूरभाष/मो. नं.	

प्रमाणित किया जाता है कि निविदा के भाग ‘‘1‘‘ ‘‘2‘‘ ‘‘3‘‘ एवं ‘‘4‘‘ में दर्शित शर्तो के अनुसार विश्वविद्यालय के दोनों छात्रावासों के मैस संचालन एव ंबी.टैक. की कैंटीन हेतु निविदा एक वर्ष के लिए कार्य करने के लिए अनुमोदन चाहते हैं ।

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षर एव ं सील

शपथ पत्र

रु.100/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित मै...द्वारा प्रोप्राईटर मेसर्स..

निम्नलिखित कथन शपथ लेकर कहता हूॅं किः-

(1) यह कि फर्मको किसी भी संस्था से कभी भी ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है ।

(2) यह कि फर्म की मैस एवं खान-पान व्यवस्था सम्बन्धी कोई कानूनी विवाद न्यायालय में लंबित नहीं है।

(3) यह कि फर्म पर किसी संस्था की देनदारी शेष नहीं है।

(4) यह कि निविदा में प्रस्तुत अथवा शपथ पत्र में दर्शायी गई जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरी निविदा को निरस्त करने का अधिकार गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार को होगा।

शपथ ग्रहिता

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता सत्यापित करता हूॅं कि मेरे द्वारा निष्पादित उक्त शपथ पत्र के बिन्दु क्रं.1 से 4 में वर्णित कथन मेरे निजी ज्ञान विश्वास अनुसार पूर्ण सत्य हैं।

शपथ ग्रहिता

मैस मीनू सत्र – 2020–21

दिन	नास्ता	दोपहर का भोजन	रात्रि भोजन
रविवार	2 पीस ब्रेड पकोड़ा +चाय+हरी चटनी	वेज बिरयानी+पापड़+रोटी+दाल+सलाद +हरी चटनी+रायता	शाही पनीर/मटर पनीर चावल+दाल+रोटी+गुलाब जामुन दो पीस+सलाद
सोमवार	2 पीस आलू पराठा+ चाय+हरी चटनी	अरहर की दाल+सीजनल वेज+चावल+रोटी+मिक्स रायता+सलाद	चना दाल+सीजनल वेज+रोटी+चावल+सलाद
मंगलवार	250ग्राम पोहा+चाय+दलिया	चना दाल+मिक्स वेज+रोटी+चावल+सलाद+रायता	छोले+पूरी+चावल+मिक्स वेज+खीर+सलाद
बुधवार	2 मिक्स पराठा+प्याज/मूली+हरी चटनी+चाय	राजमा+आलू सोयाबीन+चावल+रोटी+ मिक्स रायता+सलाद	मसूर दाल+सीजनल वेज+रोटी+चावल+सलाद
बृहस्पतिवार	2 प्लेट छोले भटूरे+चाय	कढी चावल+आलू टमाटर+रोटी+सलाद	अरहर दाल+सीजनल वेज+रोटी+चावल+सलाद
शुक्रवार	3पीस प्लेन पराठा+आलू चना+चाय	उड़द राजमा+लोकी चना+रोटी+चावल+सलाद+ बुंदी रायता	मिक्स दाल + मिक्स वेज+रोटी+चावल+सलाद
शनिवार	5 पीस आलू पूरी +चाय	मसूर दाल+सीजनल वेज+जीरा चावल+सलाद+रोटी+रायता	चना उड़द दाल+सब्जी+रोटी+चावल+सलाद

शाम पॉच बजे – चाय

सीजनल वेज – भिंडी, गोभी, लौकी, तोरी, हरी मटर, गाजर, मेथी आदि ।

सलाद – खीरा, प्याज, मूली, गाजर ।

खाद्य सामग्री – भाग 4

To maintain Quality Standard of food caterer will assure following Brands of consumables permissible :

Items		Brand
Salt	-	Tata, Annapurna, Nature Fresh, Patanjali
Spices	-	MDH, Everest, Catch, Patanjali
Rice	-	Rice sela sarbati or as approved by CCB
Ketchup	-	Maggi, Kissan, Helnz, Patanjali
Oil (Refind)	-	Sundrop, Saffola, Fortune, Patanjali, Nature Fresh
Pickle	-	Mother's or Priya or Nilon's, Patanjali
Atta (Wheat)	-	Aashirwad, Pillsbury, Annapurna, Shakti Bhog, Rajdhani, Ahaar, Pantanjali, Nature Fresh
Instent Noodles	-	Maggi, Patanjali
Flavored fruit drinks	-	Rasana, Patanjali
Papad	-	Lizzat, Patanjali
Butter	-	Amul, Britannia, Mother Dairy, Patanjali
Bread	-	Modern, Kuality
Jam	-	Kissan, Maggi, Tops, Patanjali
Ghee	-	Amul, Mother dairy, Patanjali, Everyday, Britania
Milk	-	Amul, CCB Diary, Mother Diary, Patanjali
Paneer	-	CCB Diary, Amul , Patanjali
Tea	-	Brook Bond, Lipton, Tata, Mohini
Coffee	-	Nescafe
Cornflkes	-	Patanjali, Mohan
Suji	-	Patanjali, Organic, Ashirwad, Surya
Beson	-	Patanjali, Aashirwad, Annapurna, Nature Fresh
Dalia	-	Patanjali, Shakti Bhog, Annapurna
Maida	-	Rajdhani, Surya, Trishul

गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) हरिद्वार

वित्तीय निविदा भाग – 5

क0 सं0	विवरण	ठेकेदार द्वारा अंकित की जाने वाली सूचनाएं
1.	ठेकेदार का नाम	
2.	पिता का नाम	
3.	पत्र व्यवहार का पूरा पता	
4.	स्थायी पता	
5.	फोन नम्बर / मोबाईल नम्बर / पैन कार्ड नं0	
6.	FSSAI का लाईसेंस संख्या एवं वैधता तिथि (फोटो कापी आवश्यक रुप से संलग्न करें)	
7.	ठेकेदार का आधार नम्बर (फोटो कापी आवश्यक रुप से संलग्न करें)	
8.	मैसदरप्रतिछात्र प्रतिमाह, जी0एस0टी0 सहित (भोजन सामग्री के साथतथासंलग्नमेनू के अनुसार)	
9.	मैस दर प्रति छात्र प्रतिदिन,जी0एस0टी0 सहित (नाश्ता, दिन का भोजन और रात्रि का भोजन) (भोजन सामग्री के साथ तथा संलग्न मेनू के अनुसार)	
10.	मैस दर प्रति छात्र प्रतिदिन,जी0एस0टी0 सहित (केवल लेबर चार्ज संलग्न मेनू के अनुसार भोजन बनाने तथा सर्व करने हेतु)	
11.	चाय 150 मिली, जी0एस0टी0 सहित (अलग से लेने पर)	
12.	दूध चीनी के साथ 200 मिली,जी0एस0टी0 सहित (अलग से लेने पर)	
13.	दही 200 मिली, जी0एस0टी0 सहित (अलग से लेने पर)	
14.	पूर्व में किये गये कार्य अनुभव का विवरण	

	(सम्बन्धित कार्य दाता संस्थान द्वारा कार्य अवधि का प्रमाण–पत्र संलग्न करें)	

नोट :–

1. प्रारूप भरने से पूर्व मैस कॉन्ट्रेक्टर नियम एवं शर्तों का भली–भाँति अवलोकन अवश्य कर लें।
2. **उपरोक्त क्र0सं0 08 से 13 तक मैस कॉन्ट्रेक्टर द्वारा भरी जाने वाली दरें जी0एस0टी0 सहित अंकित होनी चाहिए यदि दरें जी0एस0टी0 रहित होंगी तो सम्बन्धित निविदा रद्द कर दी जायेंगी।**
3. उपरोक्त बिन्दु सं0 01 से 14 तक में सूचना अंकित करना आवश्यक है ।
4. मैं घोषणा करता हूं कि बिन्दु संख्या 01 से 14 तक में मेरे द्वारा दी गयी समस्त सूचना एवं सम्बन्धित प्रपत्र पूर्ण रुप से सत्य एवं सही है । उपरोक्त में किसी भी समय पर कोई भी सूचना एवं प्रपत्र गलत पाये जाने पर मेरा मैस आवेदन/मैस अनुबन्ध कभी भी निरस्त कर दिया जाये ।

मैस ठेकेदार के हस्ताक्षर

नाम..

पूरा पता...

....